उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 08 दिसम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11:30 बजे कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

(1)	प्रो केदार नाथ सिंह यादव कुलपति उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
(2)	प्रो. एस.के. पाण्डेय, सांख्यिकी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
(3)	डॉ. इफ्तेखार अहमद प्राचार्य शिबली नेशनल पी.जी. कालेज, आजमगढ़	सदस्य
(4)	डॉ. डी.सी. लाल शारीरिक शिक्षा विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(5)	डॉ. बी.एन. सिंह निदेशक, मानविकी विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(6)	डॉ. एम.एन. सिंह निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(7)	प्रो. एस.पी. गुप्ता आचार्य, शिक्षा विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(8)	डॉ. टी.एन. दुबे पुस्तकालयाध्यक्ष उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(9)	डॉ. नागेन्द्र यादव उपाचार्य, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(10)	डॉ. आर.पी.एस. यादव उपाचार्य, मानविकी विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

(11) डॉ. उपेन्द्र कुमार कनौजिया — सदस्य
प्रवक्ता, समाज विद्या शाखा
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(12) डॉ. श्रुति — सदस्य
प्रवक्ता, विज्ञान विद्या शाखा
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(13) श्री एम.एल कनौजिया — सचिव
कुलसचिव
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(1) प्रो. संतोष पाण्डा
निदेशक, STRIDE
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

(2) प्रो. गजेन्द्र सिंह
निदेशक, चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–201005

(3) प्रो. आर.के. चौहान
अतिरिक्त सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली – 110002

(4) प्रो. जगन्नाथ पाल,
संस्कृति एवं प्राचीन इतिहास विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(5) प्रो. आर.सी. यादव
विज्ञान संकाय,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी का स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.01</u>

<u>विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 15 मई, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 15 मई, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 15 मई, 2007 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक दिनाँक 15 मई, 2007 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.03

बी.एड. कार्यक्रम के शिक्षार्थियों का विशेष परिस्थिति में अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक कुलपति की अनुमति से अध्ययन केन्द्र परिवर्तन का प्रावधान करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार

विद्या परिषद् ने बी.एड. कार्यक्रम के शिक्षार्थियों का विशेष परिस्थिति में अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक कुलपति की अनुमति से अध्ययन केन्द्र परिवर्तन का प्रावधान करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया।

परिषद् अवगत हुई कि बी.एड. कार्यक्रम में कुछ छात्राएँ विवाह हो जाने के कारण अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी जिन्हें उनकी वरीयता के अनुसार अध्ययन केन्द्र नहीं मिल पाता है, वे बी.एड. कार्यक्रम को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बी.एड. कार्यक्रम में अध्ययन केन्द्र परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है जबकि अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों में यह सुविधा उपलब्ध है।

निश्चय किया गया कि कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय कि बी.एड. छात्रों को विशेष परिस्थिति में अध्ययन केन्द्र परिवर्तन की अनुमति 10 प्रतिशत की सीमा तक प्रदान की जाय, बशर्ते अभ्यर्थी रु. 500/– शुल्क के साथ प्रवेश के एक माह के अन्दर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें और अध्ययन केन्द्र परिवर्तन के कारणों से कुलपति संतुष्ट हो। यह सुविधा सत्र 2007–08 से लागू किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.04

सत्र 2007–08 में स्थापित नये अध्ययन केन्द्रों से अवगत हुई।

विद्या परिषद् सत्र 2007–08 में परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित कुल 81 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने तथा पाँच स्थगित अध्ययन केन्द्रों को पुनः संचालित करने हेतु कुलपति के आदेश से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.05

सांख्यिकी एवं बायोकेमेस्ट्री विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम संचालित करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार

विद्या परिषद् ने सांख्यिकी एवं बायोकेमेस्ट्री विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम संचालित करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया।

परिषद् अवगत हुई कि विश्वविद्यालय में सांख्यिकी विषय में एम.फिल. पाठ्यक्रम सत्र 2007–08 से प्रारम्भ किया जा चुका है परन्तु सांख्यिकी में एम.ए./एम.एस–सी. का पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार बायोकेमिस्ट्री स्नातक स्तर पर उपलब्ध है और स्नातकोत्तर स्तर पर भी इसकी माँग है। अतः बढ़ती माँग को देखते हुए सांख्यिकी एवं बायोकेमिस्ट्री में स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

निश्चय किया गया कि कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय कि सांख्यिकी एवं बायोकेमेस्ट्री विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम संचालित किया जाय तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.06</u>

<u>बी.सी.ए., एम.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट स्तर पर गणित विषय न होने की दशा में सम्बन्धित प्रवेशार्थी के लिए इस विश्वविद्यालय की सी.सी.सी. कोर्स को अनिवार्य बनाने जाने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार</u>

विद्या परिषद् ने बी.सी.ए., एम.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट स्तर पर गणित विषय न होने की दशा में सम्बन्धित प्रवेशार्थी के लिए इस विश्वविद्यालय की सी.सी.सी. कोर्स को अनिवार्य बनाने जाने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय कि बी.सी.ए., एम.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट स्तर पर गणित विषय न होने की दशा में इस विश्वविद्यालय की सी.सी.सी. कोर्स को सत्र 2007–08 से अनिवार्य बनाया जाय तथा अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाय कि वह सम्बन्धित पाठ्यक्रम के साथ–साथ सी.सी.सी. कोर्स एक वर्ष के भीतर उत्तीर्ण कर लें।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.07</u>

<u>सत्र 2007–08 बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) में प्रवेश से सम्बन्धित आर.सी.आई., नई दिल्ली के पत्र संख्या 10-5/UPRTOU/2007-RCI/866 दिनाँक 15 नवम्बर, 2007 पर विचार</u>

विद्या परिषद् ने सत्र 2007–08 बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) में प्रवेश से सम्बन्धित आर.सी.आई., नई दिल्ली के पत्र संख्या 10-5/UPRTOU/2007-RCI/866 दिनाँक 15 नवम्बर, 2007 पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि आर.सी.आई., नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र की मंशा के अनुरूप एवं बैठक में हुई चर्चा के प्रकाश में आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाय :–

(1) प्रो. आर.बी. सिंह, प्रभारी प्रवेश सेल।
(2) प्रो. एस.पी. गुप्ता, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विद्या शाखा।
(3) डॉ. डी.सी. लाल, शारीरिक शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
(4) श्री बुद्ध प्रिय, प्रवक्ता, शिक्षा विद्या शाखा।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.08

डिफेन्स मैनेजमेण्ट में डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी आफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल, लखनऊ के पत्र संख्या 1201/12/सी/TRG/GEN/OTS दिनाँक 27–09–2007 पर विचार

विद्या परिषद् ने डिफेन्स मैनेजमेण्ट में डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी आफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल, लखनऊ के पत्र संख्या 1201/12/सी/TRG/GEN/OTS दिनाँक 27–09–2007 पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि डिफेन्स मैंनेजमेण्ट में पी.जी. डिप्लोमा तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु आफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल (ओ.टी.एस.) के प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने के लिए कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय।

परिषद् ने यह भी निश्चय किया कि आफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल (ओ.टी.एस.) को अध्ययन केन्द्र बनाने एवं पाठ्य सामग्री तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.09

Aviation, Hospitality and Travel Management में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी कालेज ऑफ एयर होस्टेसेज, लखनऊ के पत्र पर विचार

विद्या परिषद् ने Aviation, Hospitality and Travel Management में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी कालेज ऑफ एयर होस्टेसेज, लखनऊ के पत्र पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि Aviation, Hospitality तथा Travel Management में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने सम्न्धी कालेज ऑफ एयर होस्टेसेज, लखनऊ के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय।

परिषद् ने यह भी निश्चय किया कि कालेज ऑफ एयर होस्टेसेज, लखनऊ को अध्ययन केन्द्र बनाने तथा आवश्यक पाठ्य सामग्री तैयार करने सम्बन्धी आवश्यक कार्रवाई की जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.10

ऑन लाइन्स एजूकेशन से सम्बन्धित ब्रिटी इन्फोकाम द्वारा प्रस्तुत वेब काम्बो के प्रस्ताव पर विचार

विद्या परिषद् ने ऑन लाइन्स एजूकेशन से सम्बन्धित ब्रिटी इन्फोकाम द्वारा प्रस्तुत वेब काम्बो के प्रस्ताव पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि ऑन लाइन्स एजूकेशन प्रयोग के रूप में एक या दो–3 से 5 क्रेडिट वाले

पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय तथा इस सम्बन्ध में व्यावहारिक एवं वित्तीय पक्ष को दृष्टिगत करते हुए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाय :–

1. डॉ. एच.सी. जायसवाल, प्रभारी, पाठ्य सामग्री
2. डॉ. नागेन्द्र यादव, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा
3. श्री सी.के. सिंह, कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा

परिषद को यह अवगत कराया गया कि ऑन लाइन एजूकेशन के लिए विश्वविद्यालय रु. 1.5 लाख तक उपलब्ध करा सकता है। ऐसी स्थिति में परिषद् ने यह निश्चय किया कि सम्प्रति एक या दो पाठ्यक्रमों में ऑन लाइन एजूकेशन प्रदान करने की व्यवस्था विश्वविद्यालय अपने स्तर से अथवा किसी एजेन्सी के माध्यम से सुनिश्चित करे।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.11</u>

<u>विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष को पी.एच–डी. शोध कार्य निर्देशन की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष को पी.एच–डी. शोध कार्य निर्देशन की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि डॉ. टी.एन. दुबे विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष को शोध निर्देशन की अनुमति प्रदान करने हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय क्योंकि अन्य कुछ विश्वविद्यालयों में पी.एच–डी उपाधि धारक पुस्तकालयाध्यक्षों को शोध कार्य कराने हेतु अर्ह माना गया है।

<u>अन्य विषय के अन्तर्गत</u>

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.12</u>

<u>एम.ए. (अर्थशास्त्र) में मौखिकी परीक्षा का प्रावधान करने सम्बन्धी डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी के पत्र दिनाँक 30–11–2007 पर विचार</u>

विद्या परिषद् ने एम.ए. (अर्थशास्त्र) में मौखिकी परीक्षा का प्रावधान करने सम्बन्धी डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी के पत्र दिनाँक 30–11–2007 पर विचार किया।

निश्चय किया गया है कि निदेशक, मानविकी विद्या शाखा से अपेक्षा की जाय कि वे बैठक में हुई चर्चा के प्रकाश में मौखिकी परीक्षा को पुनः लागू किए जाने का औचित्य और इग्नू में उपलब्ध प्रावधान की सूचना के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.13

प्रवक्ता, उपाचार्य, आचार्य के अन्तर्गत क्रमशः 4, 6, 8 शोधार्थी पंजीकरण की अनुमति हेतु डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा के पत्र दिनाँक 30–11–2007 पर विचार

विद्या परिषद् ने प्रवक्ता, उपाचार्य, आचार्य के अन्तर्गत क्रमशः 4, 6, 8 शोधार्थी पंजीकरण की अनुमति हेतु डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा के पत्र दिनाँक 30–11–2007 पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा के पत्र पर विचार हेतु समिति गठित करने के निमित्त कुलपति को अधिकृत किया जाय, क्योंकि वर्तमान मानक में सम्प्रति दो ही शोधार्थी को पंजीकृत करने का प्रावधान है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(एम.एल. कनौजिया)
कुलसचिव